न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 02/2021 आर्म्स अपील (GCMS/2021/33)
पंजीयन दिनांक - 16.02.2021
निर्णय दिनांक - 28.02.2022

1. **श्री कृष्णदेव सिंह चौहान पिता श्री नाहरसिंह चौहान, निवासी मादरेचों का गुडा, थाना खमनोर, जिला राजसमन्द।**

-अपीलार्थी

बनाम

1. **राजस्थान राज्य जरिये जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर, राजसमन्द।**

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री गजेन्द्र नाहर - अधिवक्ता अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - अधिवक्ता प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश दिनांक 18.12.2019, क्रमांक एफ.21/11(1)(ख)अति.श.ला. /न्याय/2019/14517

निर्णय

दिनांक 28.02.2022

यह अपील अपीलार्थी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश दिनांक 18.12.2019, क्रमांक एफ.21/11(1)(ख)अति.श.ला. /न्याय/2019/14517 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी श्री कृष्णदेव सिंह चौहान पिता श्री नाहरसिंह चौहान द्वारा शस्त्र लाईसेंस नम्बर 24/2006 में दर्ज एक 12 बोर डीबीबीएल गन संख्या 27410 ए/9 के साथ द्वितीय शस्त्र एन.पी.रिवाल्वर क्रय (12 बोर गन लाने ले जाने में असुविधा होने से) किये जाने की अनुमति बाबत जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द समक्ष आवेदन दिनांक 18.07.2019 को प्रस्तुत किया।

- उक्त प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा से जांच रिपोर्ट चाहे जाने पर जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा शस्त्र लाईसेंस नम्बर 24/2006 में दर्ज एक 12 बोर डीबीबीएल गन संख्या 27410 ए/9 के साथ द्वितीय शस्त्र एन.पी.रिवाल्वर क्रय किये जाने की अनुमति दिया जाना उचित नहीं बताये जाने से आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा आदेश

एफ.21/11(1)(ख)अति.श.ला./न्याय/2019/14517 दिनांक 18.12.2019 से निरस्त कर दिया।

उक्त आदेश से असंतुष्ट होने से अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम के न्याालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष दिनांक 03.02.2021 को प्रस्तुत की। उक्त अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए यह अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अभिलेख तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ता दिनांक 28.02.2022 को उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का पूर्ण अवलोकन नहीं किया क्योंकि अपीलार्थी पूर्व में ही शस्त्र अनुज्ञाधारी है, यदि उसके द्वारा अतिरिक्त हथियार, मात्र उसने अपनी जायज जरूरात एवं व्यापारिक आवश्यकता के लिये आवेदन किया था, जिसके सम्बन्ध में अलग नियमावली है, उसके तहत कार्यवाही की जानी थी। जिला पुलिस अधीक्षक एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट के सम्बन्ध में आवेदक से कोई जानकारी नहीं मांगी गई, ऐसे मे बिना जानकारी मांगे बनाई गई रिपोर्ट अपूर्ण है। जिला पुलिस अधीक्षक से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई उसमें मुख्यतः अपीलार्थी के अपराधिक रेकर्ड चाल चलन एवं अतिरिक्त हथियार की आवश्यकता एवं सम्बन्धित नियमावली के बारे में रिपोर्ट मांगी गई थी लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट से मांगी गई सूचना को भी अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जबकि उनके तथ्य सीमित थे। अपीलार्थी के पास पूर्व से शस्त्र अनुज्ञाधारी है, उसने कभी शस्त्र का दुरपयोग नहीं किया, कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, इन किसी तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया। न ही अपीलार्थी को पर्याप्त सुनवाई का मौका दिया गया। उक्त प्रकरण का निस्तारण दिनांक 18.12.2019 को किया गया था तथा अपीलार्थी द्वारा नकल आदेश दिनांक 26.03.2020 को नकल आदेश की प्रति प्राप्त हुई लेकिन कोरोना महामारी के दृष्टिगत राष्ट्रव्यापी लोकडाउन से अपीलार्थी अधिवक्ता से नहीं मिल पाया और महामारी कम होते ही उदयपुर स्थित अधिवक्ता से सम्पर्क कर अविलम्ब प्रश्नगत अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा अपीलार्थी का आवेदन बिना किसी आधार एवं नियमों के विरूद्ध निरस्त कर दिया। अतः उक्त आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावें।

विद्वान राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस, अपील मेमों में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।

उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2019 पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपील 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत की जानी थी जो अपीलार्थी द्वारा नहीं की गई और लॉकडाउन का हवाला दिया गया जो मार्च, 2020 के अंतिम सप्ताह से लागु हुआ था। अपीलार्थी को प्रतिलिपि दिनांक 26.03.2020 को प्राप्त हुई जिसके उपरान्त लॉकडाउन लागू हो गया, जिससे न्यायहित में अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर निम्नानुसार गुणावगुण पर निर्णित की जाती है।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी श्री कृष्णदेव सिंह चौहान पिता श्री नाहरसिंह चौहान द्वारा शस्त्र लाईसेंस नम्बर 24/2006 में दर्ज एक 12 बोर डीबीबीएल गन संख्या 27410 ए/9 के साथ द्वितीय शस्त्र एन.पी.रिवाल्वर क्रय (12 बोर गन लाने ले जाने में असुविधा होने से) किये जाने की अनुमति बाबत जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द समक्ष आवेदन दिनांक 18.07.2019 को प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा से जांच रिपोर्ट चाहे जाने पर जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा शस्त्र लाईसेंस नम्बर 24/2006 में दर्ज एक 12 बोर डीबीबीएल गन संख्या 27410 ए/9 के साथ द्वितीय शस्त्र एन.पी.रिवाल्वर क्रय किये जाने की अनुमति दिया जाना उचित नहीं बताये जाने से आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा आदेश एफ. 21/11(1)(ख)अति.श.ला./न्याय/2019/14517 दिनांक 18.12.2019 से निरस्त कर दिया। अपीलार्थी द्वारा द्वितीय शस्त्र हेतु प्रमुख कारण अंकित किया कि उसे शस्त्र लाने ले जाने में असुविधा होती है, इस कारण वह रिवॉल्वर रखना चाहता है एवं शस्त्र का केवल आत्मरक्षार्थ प्राप्त करना चाहता है। अपीलार्थी के पास स्वयं की सुरक्षा हेतु पहले से ही शस्त्र लाईसेंस नम्बर 24/2006 में दर्ज एक 12 बोर डीबीबीएल गन संख्या 27410 ए/9 से एक शस्त्र है। हस्तगत प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा श्री कृष्णदेव सिंह की जान को कोई गंभीर खतरा नही होने का अंकन किया है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने का भी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकन किया है। दुसरा अतिरिक्त शस्त्र एन.पी. रिवाल्वर/पिस्टल आर्म्स रूल्स्-2016 के नियम 12 के तहत दिया जाना नियमानुसार नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया गया उसमें कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है, उक्त आदेश विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत है।

उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द का आदेश दिनांक 18.12.2019 में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं होने से **अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है** और **जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2019 यथावत रखा जाता है।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें। निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर